



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092023-248848  
CG-DL-E-20092023-248848

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225]  
No. 225]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 20, 2023/भाद्र 29, 1945  
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 20, 2023/BHADRA 29, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)  
सार्वजनिक सूचना  
नई दिल्ली, 20 सितंबर, 2023  
सं. 31/2023

विषय: एफटीपी, 2023 के परिशिष्ट 2ड से उदगम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों का सूची से हटाने के संबंध में।

फा. सं. 01/93/180/28/एएम-19/पीसी.II(ख)/ई-16025.—व्यापार सूचना सं. 22/2023 दिनांक 16.08.2023 के अनुसरण में जहां एफटीपी, 2023 के परिशिष्ट 2ड के तहत सूचीबद्ध उन एजेंसियों को अंतिम सूचना दी गई थी, जो अभी भी उदगम प्रमाणपत्र (गैर-तरजीही) जारी करने के लिए 31 अगस्त, 2023 तक अपनी ऑन-बोर्डिंग पूरी करने के लिए अभी तक ई-सीओओ प्लेटफॉर्म पर शामिल नहीं हुए हैं। तथापि, 32 एजेंसियां ईसीओओ प्लेटफॉर्म पर आन बोर्डिंग हेतु डीजीएफटी को जवाब देने या किसी भी कार्रवाई को शुरू करने में फॉलो अप्स और अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद विफल रही।

2. तदनुसार, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा निम्नलिखित 29 एजेंसियों, जो सीडीपी प्लेटफॉर्म पर ऑन-बोर्डिंग के लिए अपनी प्रक्रिया शुरू करने में विफल रही, को एफटीपी, 2023 के परिशिष्ट 2ड से हटाते हैं, जिनकी सूची निम्नानुसार है:

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	राज्य
1.	इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीबिजनेस प्रोफेशनल्स	दिल्ली
2.	इन्टरनेशनल सोसायटी फॉर स्मॉल एंड मीडियम	दिल्ली
3.	नॉर्थ ईस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	असम
4.	कर्नाटक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन	कर्नाटक
5.	पोरबंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	गुजरात
6.	जम्मू एवं कश्मीर अखरोट निर्यातक संघ	जम्मू एवं कश्मीर
7.	कश्मीर चौबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,	जम्मू एवं कश्मीर
8.	देवी अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज	मध्य प्रदेश
9.	दी सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया,	मध्य प्रदेश
10.	एसोसिएशन ऑफ मर्चेण्ट्स एंड मैनुफैक्चरर्स ऑफ टेक्स्टाइल स्टोर्स एंड मशीनरी (भारत)	महाराष्ट्र
11.	एमवीआईआरडीसी वर्ल्ड	महाराष्ट्र
12.	इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स	महाराष्ट्र
13.	एसोसिएटेड मणिपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स	मेघालय
14.	फेडरेशन ऑफ ऑल मणिपुर इंपोर्टर्स/एक्सपोर्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	मणिपुर
15.	बॉर्डर ट्रेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स,	मणिपुर
16.	मेघालय मिनरल एक्सपोर्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स	मणिपुर
17.	मेघालय इंटरनेशनल एक्सपोर्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स	मणिपुर
18.	भिवाड़ी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन	राजस्थान
19.	फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री,	राजस्थान
20.	सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टॉन्स (सीडीओएस),	राजस्थान
21.	नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स,	तमिलनाडु
22.	सलेम धर्मपुरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स	तमिलनाडु
23.	इंडो-ऑस्ट्रेलियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स	तमिलनाडु
24.	फेडरेशन ऑफ तेलंगाना स्मॉल (एमएसएमई) इंडस्ट्रीज एसोसिएशन	तेलंगाना
25.	त्रिपुरा एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स	त्रिपुरा
26.	ईस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	उत्तर प्रदेश
27.	अपर इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स,	उत्तर प्रदेश
28.	ईस्टर्न यूपी एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन	उत्तर प्रदेश
29.	फेडरेशन ऑफ बीरी, बीरी लीव्स एंड टोबैको मर्चेण्ट्स	पश्चिम बंगाल

### 3. सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

विदेश व्यापार नीति 2023 के परिशिष्ट 2ड. के तहत सूचीबद्ध 29 चैम्बर्स/एजेंसियां जो उद्गम प्रमाणपत्र (गैर-तरजीही) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी करने हेतु विदेश व्यापार महानिदेशालय के ई-सीओओ प्लेटफॉर्म पर ऑन-बोर्ड करने के लिए डीजीएफटी के बार-बार दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रही हैं, उन्हें परिशिष्ट 2ड. से असूचीबद्ध किया गया है। इसके पश्चात यह 29 चैम्बर्स/एजेंसियां उद्गम प्रमाणपत्र (गैर-तरजीही) जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं होगी।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 20th September, 2023

**No. 31 /2023****Subject: De-listing of agencies authorized to issue Certificates of Origin- (Non Preferential) from Appendix 2E of FTP, 2023 –reg.**

**F. No. 01/93/180/28/AM-19/PC.II(B)/E-16025.**— Pursuant to Trade Notice No. 22/2023 dated 16.08.2023, whereby a final notice was given to those agencies enlisted under Appendix 2E of FTP, 2023 who have still not on-boarded on the e-CoO platform for issuance of Certificate of Origin (Non-Preferential), to complete their on-boarding by 31<sup>st</sup> August 2023. However, 32 agencies failed to respond to the DGFT or initiate any action for on-boarding on the e-CoO platform despite follow-ups and reminders.

2. Accordingly, in exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, the Director General of Foreign Trade hereby de-list the following 30 agencies from Appendix 2E of the FTP, 2023, who failed to initiate their process of on-boarding on the CDP platform, as under:

<b>S. No.</b>	<b>Name of the agency</b>	<b>State</b>
1.	Indian Society of Agribusiness Professionals	<b>Delhi</b>
2.	International Society for Small and Medium	<b>Delhi</b>
3.	North East Chamber of Commerce & Industry	<b>Assam</b>
4.	Karnataka Small Scale Industries Association	<b>Karnataka</b>
5.	Porbandar Chamber of Commerce & Industry	<b>Gujarat</b>
6.	J&K Walnuts Exporters Association	<b>J&amp;K</b>
7.	The Kashmir Chamber of Commerce & Industry,	<b>J&amp;K</b>
8.	Devi Ahilya Chamber of Commerce and Industries	<b>Madhya Pradesh</b>
9.	The Soyabean Processors Association of India,	<b>Madhya Pradesh</b>
10.	Association of Merchants & Manufacturers of Textile Stores and Machinery(India)	<b>Maharashtra</b>
11.	MVIRDC World Trade Centre	<b>Maharashtra</b>
12.	Indo German Chamber of Commerce	<b>Maharashtra</b>
13.	Associated Manipur Chamber of Commerce	<b>Meghalaya</b>
14.	Federation of All Manipur Importers/Exporters Chamber of Commerce & Industry	<b>Manipur</b>
15.	Border Trade Chamber of Commerce,	<b>Manipur</b>
16.	Meghalaya Mineral Exporters Chamber of Commerce	<b>Manipur</b>
17.	Meghalaya International Exporters Chamber of Commerce	<b>Manipur</b>
18.	Bhiwadi Manufacturer's Association	<b>Rajasthan</b>
19.	Federation of Rajasthan Trade and Industry,	<b>Rajasthan</b>
20.	Centre for Development of Stones (CDOS),	<b>Rajasthan</b>
21.	The National Chamber of Commerce,	<b>Tamil Nadu</b>
22.	Salem Dharmapuri Chamber of Commerce	<b>Tamil Nadu</b>
23.	Indo-Australian Chamber of Commerce	<b>Tamil Nadu</b>
24.	Federation of Telangana Small (MSME) Industries Associations	<b>Telangana</b>

25.	Tripura Exporters-Importers Chamber of Commerce	<b>Tripura</b>
26.	Eastern U.P. Chambers of Commerce & Industry	<b>Uttar Pradesh</b>
27.	Upper India Chamber of Commerce,	<b>Uttar Pradesh</b>
28.	Eastern UP Exporters Association	<b>Uttar Pradesh</b>
29.	Federation of Biri, Biri Leaves & Tobacco Merchants	<b>West Bengal</b>

**3. Effect of this Public Notice:**

29 chambers / agencies enlisted under Appendix 2E of FTP 2023, who failed to comply to the repeated directions of DGFT to on-board on the e-CoO platform of DGFT for electronic issuance of Certificate of Origin (Non-Preferential), have been de-listed from Appendix 2E with immediate effect. Henceforth, these 29 chambers/agencies shall not be authorized to issue Certificate of Origin (Non-Preferential).

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.